न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज0)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2024

अपीलार्थी

1. श्री निम्बाराम भील पुत्र श्री रेशमाराम जाति भील निवासी रामपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री यासीन खां पुत्र श्री सरदार खां जाति मुसलमान निवासी पालनपुर हाउस, आबूपर्वत तहसील देलदर जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार सरकार)।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या एक अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.11.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा मुकदमा संख्या 07/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 के विरूद्ध दिनांक 20.11.2024 को प्रस्तुत की है । अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अधीनस्थ न्यायालय में अंकित पता एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों में अंकित पते पर सम्मन प्रेषित किए गए, जो अदम तामिल प्राप्त हुए, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक का सम्मन का दैनिक अखबार जागरूक टाईम्स के सिरोही संस्करण के पृष्ठ संख्या 05 पर दिनांक 27.05.2025 को प्रकाशित करवाया गया। उक्त प्रकाशन की 30 दिन की अवधि के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से पेरोकार सरकार, द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

लगातार पेज नं. 02

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण संख्या 7/2024 पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, तामिली के उपरान्त रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा व आयन्दा तारीख पेशी 30.05.2024 को जवाब पेश किया गया, आयन्दा पेशी दिनांक 26.06.2024 को जवाब की नकल अपीलांट को दिलायी गयी, उसके पश्चात् अपीलांट ने साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहा था, जिस पर आगामी पेशी साक्ष्य हेतु नियत की गयी थी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तारीख पेशी पर अपने घर पर आवश्यक कार्य होने से वे तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये थे एवं जुनियर अधिवक्ता को भेजा था जिन्हे यह बताया कि आयन्दा तारीख पेशी तय कर सूचना दे दी जावेगी, लेकिन न्यायालय ने अपीलांट अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस का हवाला देकर दिनांक 01.08.2024 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में 183 (बी) राज़रथान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया था, जिसे वाद की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था। वाद में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् कानूनन विवाद्यक कायम किये जाने चाहिए थे एवं विवाद्यक कायम किये जाने के पश्चात पक्षकारान द्वारा अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करते एवं साक्ष्य के दौरान दस्तावेज को प्रदर्शित कर उन्हे साबित करवाते तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से जिरह होती एवं इस प्रकार से सम्पूर्ण साक्ष्य से दावे का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर वाद को प्रार्थना पत्र की तरह ट्रीट कर निस्तारण कर उक्त निर्णय दिनांक 01.08.2024 पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अगर प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित थे तो उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाना चाहिए था, जिसे अपीलांट की ओर से नियमानुसार रेस्टोर करवाने की कार्यवाही की जाती, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को अनुपस्थित बताकर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त आदेश दिनांक 01.08.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 01.08.2024 के साथ किसी प्रकार की डिकी जारी नहीं की जबकि वाद का निस्तारण करते समय डिकी पर्चा जारी किया जाना कानूनन आवश्यक है। जिसके अभाव में भी उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलांट व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त रूप से कृषि भूमि मौजा चवरली पटवार हल्का डूंगरी तहसील पिण्डवाडा में आई हुई है, जिसके पुराने खाता संख्या 305 पुराना खसरा सख्या 34 व नवीन खसरा संख्या 1065/834 रकबा 0.3794 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के लगती रेस्पोडेन्ट संख्या एक की खसरा संख्या 1017/533 व 534 की कृषि भूमि आई हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपने कृषि भूमि में परकोटा का निर्माण करते समय अपीलांट के खसरा संख्या 1065/834 के हाईवे की तरफ 36 फुट चौडा व रेलवे की तरफ 11 फुट चौडाई में कुल 3995 वर्गफुट कृषि आराजी पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है व रेस्पोडेन्ट मुसलमान जाति का सादस्य है। जिससे उक्त प्रकरण में धारा 183बी लागु होती है। सहखातेदारान की कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई भी एक खातेदार अतिक्रमी के विरूद्ध वाद ला सकता है। उसमें सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से सभी खातेदारान को पक्षकारान नहीं बनाये जाने का कथन कर उक्त निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलांट ने उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्राइवेट तौर से सेटेलाईट के जरिए सीमा ज्ञान करवाया, जिसमें भी रेस्पोडेन्ट का

लगातार पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतिक्रमण अपीलांट की कृषि भूमि पर पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकारान की साक्ष्य नहीं ली, न ही अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया एवं गलत रूप से उक्त आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित किया गया है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योगय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2024 को आदेश पारित आदेश की सूचना न्यायालय ने अधिवक्ता या पक्षकार को नहीं दी एवं न्यायालय ने काफी लम्बे समय पश्चात् पुरानी दिनांक में आदेश पारित कर दिया। अपीलांट अधिवक्ता को दिनांक 28.10.2024 को उसकी सूचना प्राप्त होने पर उन्होने बिना किसी देरी के दिनांक 28.10.2024 को नकल हेतु आवेदन किया, जो नकल उन्हे दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त हुई। अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है एवं मजदूरी हेतु बाहर रहता है, वह दिनांक 12.11.2024 को अपने गाँव आया एवं अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने जानकारी दी कि उक्त निर्णय पारित हो गया है एवं उसकी नकल तथा पत्रावली अपीलांट को दिनांक 12.11.2024 को दी, जिस पर सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.11.2024 को हुई, जिससे 30 दिन की समयावधि में यह अपील प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में माननीय न्यायालय देरी माने तो उसे कण्डोन करने हेतु अलग से धारा 05 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अधीनस्थ न्यायालय में अंकित पते पर एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों में अंकित पते पर सम्मन प्रेषित किए गए, जो अदम तामिल प्राप्त हुए, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक का सम्मन का दैनिक अखबार जागरूक टाईम्स के सिरोही संस्करण के पृष्ठ संख्या 05 पर दिनांक 27.05.2025 को प्रकाशित करवाया गया। उक्त प्रकाशन के पांच माह की अवधि के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 07/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 को पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट की भूमि सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक रूपान्तरित है तथा मौके पर चार दीवारी का निर्माण होने से उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किए जाने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि पटवार हल्का डूंगरी के ग्राम चवरली में आई हुई है। दौराने सुनवाई अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की ओर मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं उसे आगामी तारीख पेशी की जानकारी दिए बिना अपीलांट को अनुपस्थित बताते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण संख्या 07/2024 पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये,

लगातार पेज नं. 04

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा व आयन्दा तारीख पेशी 30.05.2024 को जवाब पेश किया गया तथा तारीख पेशी दिनांक 26.06.2024 को अपीलांट को जबाव की नकल दिलवाई गई तथा अपीलांट अधिवक्ता ने अन्य साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.08.2024 को नियत की गई। उक्त तारीख पेशी दिनांक 01.08.2024 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट अधिवक्ता को निर्धारित तारीख पेशी पर अपने घर पर आवश्यक कार्य होने से वे तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये थे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उनके अधिवक्ता को अनुपस्थित बताकर रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि अपीलांट द्वारा उक्त विवादित खसरों का पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के निवेदन करने के उपरान्त भी उक्त विवादित खसरों का सीमाज्ञान नहीं करवाकर अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किए जाने सम्बन्धी रिपोर्ट संलग्न पेश नहीं की गई है और उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर अपीलांट के वाद को खारिज किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय में उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाए जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक रूपान्तरित है तथा मौके पर चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है। चूंकि रेस्पोडेन्ट की भूमि सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक रूपान्तरित होने तथा उस पर चार दीवारी का निर्माण किए जाने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलांट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि पर चार दीवारी निर्माण के समय अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 07/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं विवादित भूमि का पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाकर नियमानुसार मौके की जांच कर नए सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner